न्यायालय–कुसुम कुमारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी–रामगढ

परिवाद वाद सं0– 887 / 2022

राजा मालाकर.....परिवादी

राज्य बनाम

मजहर अली ..... अभियुक्त

आदेश

10.10.2023 परिवादी राजा मालाकार की हाजिरी दी गयी।

अभियुक्त मजहर अली की हाजिरी के साथ आत्म–समर्पण आवेदन के साथ नवीन वकालतनामा दााखिल किया गया। आत्म–समर्पण आवेदन की प्रति परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को प्राप्त कराया गया।

अभियुक्त मजहर अली के विरूद्ध धारा–138 एन.आई. एक्ट के अन्तर्गत अपराध का अभियेाग व्याख्या सुनाया गया जिसे सुनकर अभियुक्त के द्वारा इंकार करते है।

अभिलेख अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त मजहर अली इस वाद के वांछित अभियुक्त है इसलिए अभियुक्त मजहर अली को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है।

परिवादी राजा मालाकार तथा अभियुक्त मजहर अली की ओर से एक संयुक्त सुलहनामा आवेदन भी दिया गया।

परिवादी राजा मालाकार का सशपथ परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान चेक नंबर– 000624 को प्रदर्श–A, रिटर्न मेमो को प्रदर्श–B, कानूनन नोटिस पर परिवादी राजा मालाकार के हस्ताक्षर को प्रदर्श–C, डाक रसीद को प्रदर्श–D, ट्रैकिंग रिपोर्ट को प्रदर्श–E अंकित किया गया तत्पश्चात् प्रतिपरीक्षण कर मुक्त किया गया

अभिलेख अवलोकन किया गया। अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी राजा मालाकार अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि परिवादी राजा मालाकार तथा अभियुक्त मजहर अली के बीच समझौता हो गया है और परिवादी को चेक की सारी राशि मिली गयी है, कोई बकाया नहीं है और न ही इस चेक पर आगे कोई

केस करेंगें और न ही इस केस को आगे लड़ना चाहते है। ऐसी परिस्थिति को देखते हुए समझौते के आधार पर अभियुक्त मजहर अली को दोष मुक्त करते हुए न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया जाता है तथा वाद को समझौते के आधार पर निष्पादन किया जाता है।

कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

s/d

मु0न्या0दंडा0

रामगढ़